दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

सुरक्षित : 24 मई, 2021
निर्णीत : 01 जून, 2021

ज़मानत अर्ज़ी 791/2021

सोनू सैफी ....याचिकाकर्ता

द्वारा: श्री महमूद पराचा, अधिवक्ता।

बनाम

राज्य ....प्रत्यर्थी

द्वारा: श्री रजत नय्यर, राज्य के विशेष लो.अभि. संग निरीक्षक वी.एन. झा, अपराध शाखा।

कोरम:

माननीय न्यायाधीश सुश्री मुक्ता गुप्ता

1. इस याचिका के द्वारा, याचिकाकर्ता ने थाना दयालपुर में भा.द.सं. की धारा 144/147/148/149/153ए/295ए/427/436/380/302/120-बी/34 तथा आयुध अधिनियम की धारा 25/27

के तहत पंजीकृत प्राथमिकी संख्या 75/2020 में नियमित ज़मानत की मांग की है|

2. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता प्रतिवाद करते हैं कि याचिकाकर्ता को अभियोजन पक्ष द्वारा भरोसा जताए गए सीसीटीवी फुटेज में नहीं देखा गया है। मृतक राहुल सोलंकी का भाई रोहित सोलंकी अपने संस्करण के अनुसार भी चश्मदीद गवाह नहीं है। अन्य चश्मदीद गवाह अनिल कुमार ने न तो याचिकाकर्ता का नाम लिया है और न ही उसकी पहचान की है। इस तथ्य के बावजूद कि चश्मदीद गवाह उपलब्ध थे, दिनांक 24 फरवरी, 2020 की एक कथित घटना के लिए दिनांक 28 फरवरी, 2020 को पुलिस अधिकारी के बयान पर देरी से प्राथमिकी दर्ज की गई थी। रोहित और अनिल के संस्करण से स्पष्ट है कि वे मौके पर मौजूद नहीं थे। वर्तमान मामला गलत

पहचान का मामला हो सकता है क्योंकि रोहित गली सं. 5/6 में रहने वाले और वेल्डिंग का काम करने वाले एक सोनू के बारे में बता रहा था, जबकि आरोपपत्र के साथ दायर किये गए दस्तावेज जिसमें इस याचिका के साथ दायर याचिकाकर्ता की पत्नी के आधार कार्ड के साथ याचिकाकर्ता के मोबाइल नंबर का ग्राहक विवरण भी शामिल है, इससे यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता गली सं. 4/5 का निवासी है और जिस क्षेत्र में याचिकाकर्ता निवास कर रहा है, वहाँ बहुत सारे लोग वेल्डिंग का काम कर रहे हैं और सोनू एक बहुत ही सामान्य नाम है। कथित चश्मदीद गवाहों से याचिकाकर्ता की कोई टीआईपी नहीं कराई गई। इसके अलावा, रोहित ने पुलिस अधिकारी की निशानदेही पर याचिकाकर्ता की पहचान की है जो पहचान निरर्थक है। रोहित का दावा कि वह अपने भाई को अस्पताल ले

गया था उस एमएलसी में उल्लिखित विवरण के द्वारा झूठा साबित होता है, जो कांस्टेबल अवनीत द्वारा दी गई थी एवं जिसमें कहा गया है कि मृतक रात 9 बजे मिला था। यह विवरण अभियोजन पक्ष के संस्करण को पूरी तरह से झूठा सिद्ध करता है कि कथित घटना दिनांक 24 फरवरी, 2020 को शाम 5.50 से 6.00 बजे के बीच हुई थी और घटना के तुरंत बाद रोहित अपने भाई राहुल को कई अस्पतालों में ले गया। याचिकाकर्ता से बरामद हुआ कथित अपराध में प्रयोग किया गया हथियार, अपराध से संबंधित नहीं है। याचिकाकर्ता को जिस भूमिका के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है वह पुलिस हिरासत में दर्ज इकबालिया बयानों पर आधारित है जो सबूतों के रूप में अस्वीकार्य हैं। रोहित सोलंकी के अनुसार भी, उन्होंने दिनांक 14 मई, 2020 को पुलिस अधिकारी के कहने पर

याचिकाकर्ता की पहचान की, हालांकि उन्हें बिना किसी पहचान के दिनांक 13 मई, 2020 को गिरफ्तार कर लिया गया था। याचिकाकर्ता का कोई पिछला आपराधिक इतिहास नहीं था, सिवाय इसके कि अब याचिकाकर्ता को कई मामलों में झूठा फंसाया गया है। याचिकाकर्ता के खिलाफ अस्पष्ट और अविश्वसनीय सबूतों के मद्देनजर, उसे ज़मानत पर रिहा कर दिया जाए तथा वह विचारण हेतु उपलब्ध रहेगा।

3. सीबीआई के विद्वान विशेष लो.अभि. ने प्रतिवाद किया कि मृतक के भाई चश्मदीद गवाह रोहित सोलंकी की गवाही से यह स्पष्ट है कि अभियुक्त मुस्तकीन ने मृतक राहुल सोलंकी पर गोली चलाई थी, हालांकि याचिकाकर्ता भीड़ का हिस्सा था तथा सक्रिय रूप से अपने भाई की हत्या में भाग ले रहा था। इस घटना के संदर्भ में रोहित सोलंकी का बयान दिनांक 26

फरवरी, 2020 को दर्ज किया गया था, हालांकि पुलिस अधिकारी के बयान पर दिनांक 28 फरवरी, 2020 को प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जिसके बाद दिनांक 8 मार्च, 2020 को रोहित का बयान आया जिसमें उसने पूरी तरह से बयान दिया था कि उसने घटना को दूर से देखा था तथा उसका चचेरा भाई अनिल मृतक के साथ था। घटना के बाद रोहित, राहुल को विभिन्न अस्पतालों में ले गया जहां उसे इलाज प्रदान नहीं किया जा सका और उसे विशिष्ट केंद्रों पर भेजा गया तथा अंत में जीबी पंत अस्पताल गया जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। दिनांक 8 मार्च, 2020 के अपने बयान में रोहित ने सोनू, उसके निवास स्थान तथा उसके काम का पूरा विवरण दिया, हालांकि जांच संस्था तब भी याचिकाकर्ता को गिरफ्तार करने के लिए आगे नहीं बढ़ी। दिनांक 13 मई, 2020 को सह-अभियुक्त

सलमान को गिरफ्तार किए जाने के बाद तथा दिनांक 13 मई, 2020 को दिए गए इंकेशाफी बयान में सोनू सैफी, वर्तमान याचिकाकर्ता का नाम पिस्तौल प्रदान करने की भूमिका के साथ उभरा, जिससे याचिकाकर्ता को गिरफ्तार किया गया। वर्तमान याचिकाकर्ता की पहचान करने वाले रोहित का बयान दर्ज किया गया तथा इसलिए किसी भी परीक्षण पहचान परेड (टी.आई.पी.) की आवश्यकता नहीं थी। याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का प्रतिवाद गलत है कि गवाहों को बहकाया गया या यह गलत पहचान का मामला है। दिनांक 8 मार्च, 2020 को अपने बयान में ही, रोहित ने स्वयं राहुल को लोनी के उस क्लीनिक में ले जाने सहित घटनाओं का पूरा क्रम बताया, जहां एमएलसी तैयार की गई थी तथा जहां से पुलिस अधिकारी की मदद से वे जीटीबी अस्पताल आए, जहां यह दर्ज है कि मृतक कांस्टेबल

अवनीत द्वारा लाया गया था। इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता है कि याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आरोप-पत्र में दर्शायी गई विसंगतियों को छिपाने के लिए अनुपूरक आरोप-पत्र को आरोप-पत्र दाखिल करने के बाद इस क्लीनिक को अनुपूरक आरोप-पत्र में वर्णित किया गया है। घटना का समय दिनांक 24 फरवरी, 2020 को शाम 05:50 बजे से शाम 06:00 बजे तक है तथा घटनास्थल पर लगे सीसीटीवी को शाम 04:25 बजे आरिफ द्वारा नष्ट कर दिया गया, जिसे विधिवत रूप से सीसीटीवी में देखा जा सकता है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अपराध की प्रकृति अत्यंत गंभीर है, चश्मदीद गवाह आसपास रहते हैं, याचिकाकर्ता चार अन्य मामलों में भी संलिप्त है तथा अहम गवाहों की गवाही होना अभी शेष है, याचिकाकर्ता को ज़मानत प्रदान नहीं की जाए।

4. दिनांक 24 फरवरी, 2020 की डीडी सं. 40-बी, जिसके द्वारा जीटीबी अस्पताल से मिली सूचना कि लगभग 26 वर्ष की आयु के राहुल सोलंकी पुत्र श्री एच.एस. सोलंकी को कांस्टेबल अवनीत, थाना लोनी द्वारा शिव मंदिर, टी-पॉइंट पर गोली लगने के कारण जीटीबी अस्पताल में भर्ती कराया गया तथा जिसे चिकित्सकों द्वारा मृत घोषित कर दिया गया था, को दयालपुर थाने में दर्ज किया गया| सहा.उप.निरी. हेमराज सिंह के बयान के आधार पर, उपरोक्त प्राथमिकी दर्ज की गई थी और बाद में दिनांक 8 मार्च, 2020 को अनिल कुमार और रोहित सोलंकी के बयान दर्ज किए गए थे|

5. अनिल कुमार ने कहा कि वह पढ़ाई कर रहा था और अपने मामा के साथ रह रहा था तथा वह उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के गांव चंदोसे का निवासी है। मृतक राहुल सोलंकी

उसका मामा का बेटा था। दिनांक 24 फरवरी, 2020 को लगभग 05:30 बजे वह और राहुल घरेलू सामान लेने पाल डेयरी गए। जब वे गली के कोने पर पहुँचे, तो उन्होंने देखा कि कई लोग वहाँ जमा हुए हैं तथा गली सं. 1, पाल डेयरी वाली गली से, 40-50 व्यक्ति लाठी, डंडा, पिस्तौल और पेट्रोल बम से लैस थे जो इस तरफ से पथराव कर रहे थे, पेट्रोल बम फेंक रहे थे तथा नारेबाजी कर रहे थे। मुख्य सड़क पर भी कई लोग संपत्ति को नुकसान पहुँचाने में लिप्त थे। हालात को देखकर, वह और राहुल अन्य लोगों के साथ नरेंद्र के घर के पास रुक गए। दंगाई बार-बार उनकी तरफ आ रहे थे और पथराव कर रहे थे। इस बीच एक भीमकाय कद-काठी वाला लड़का जिसके बाएं हाथ में एक काला हेलमेट और दाहिने हाथ में एक पिस्तौल थी तथा जिसने नीली टी-शर्ट पहनी हुई थी, वह मुख्य मुस्तफाबाद

रोड की तरफ से आया और हम पर गोली चलाई। उसके बाद उसके अन्य साथी भी आए। बंदूक की गोली राहुल को लगी, जो तुरंत नीचे गिर गया। वह सूचित करने के लिए तुरंत घर पहुंचा तथा कुछ दूरी पर उसे रोहित मिला जिसे उसने पूरी घटना के बारे में बताया। रोहित और वह वापस आ गए। फिर रोहित और नरेंद्र राहुल को नरेंद्र की मोटरसाइकिल पर शांति अस्पताल ले गए। वह भी दूसरी मोटरसाइकिल पर उनके पीछे गया। दंगों के कारण शांति अस्पताल का मुख्य द्वार बंद था। फिर वे लव-कुश नर्सिंग होम गए, जहाँ चिकित्सिकों ने जाँच करने के बाद राहुल को जीटीबी अस्पताल ले जाने के लिए कहा। चूंकि जीटीबी अस्पताल की ओर सड़क बंद थी, इसलिए यहां-वहां घूमने के बाद, वे उसे लोनी के सामुदायिक क्लीनिक ले गए, जहाँ डॉक्टरों ने राहुल को किसी बड़े अस्पताल ले जाने के लिए

कहा। इसी बीच उसका मामा भी पहुंच गया। फिर लोनी की पुलिस की मदद से, एम्बुलेंस में वे राहुल को जीटीबी अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सक ने बताया कि राहुल की मौत हो चुकी है। उसे भीड़ का वीडियो दिखाया गया तथा वीडियो देखने पर, उसने उनकी पहचान उन लोगों के रूप में की, जिन्होंने राहुल को गली में मारा था।

6. रोहित सोलंकी का बयान भी उसी तारीख को दर्ज किया गया था, जो अनिल कुमार द्वारा बताई गई बातों के अनुरूप था।

7. अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार, रोहित सोलंकी का बयान दिनांक 8 मार्च, 2020 को दर्ज किया गया था, जिसमें उसने चमन पार्क, मुस्तफाबाद में रहने वाले तथा टैक्सी चलाने वाले इरशाद; चमन पार्क, गोकुलपुरी में रहने वाले तथा

मोबाइल की दुकान चलाने वाले सलमान; गली नंबर 6/6, बाबू नगर में रहने वाले तथा निर्माण सामग्री का काम करने वाले आरिफ; गली नंबर 8, हुसैनी मस्जिद के निवासी और दर्जी का काम करने वाले फुरकान; हुसैनी मस्जिद के पास रहने वाले तथा कबाड़ी का काम करने वाले सिराजुद्दीन; गली नंबर 2/3, मुस्तफाबाद में रहने वाले तथा भैंसों का काम करने वाले अनीश कुरैशी; गली नंबर 4/5, बाबू नगर में रहने वाले आरिफ चाबीवाला तथा गली नंबर 5/6, बाबू नगर में रहने वाले और वेल्डिंग का काम करने वाले सोनू, जो वीडियो में मौजूद नहीं था, के नाम लिए। दिनांक 13 मई, 2020 की आगे की जांच में सलमान को गिरफ्तार किया गया जिसने बताया कि सोनू ने कुछ दिन पहले गोला-बारूद के साथ पिस्तौल खरीदी थी, जिसे

सोनू ने उस तारीख को दिया था जिसका इस्तेमाल अपराध में किया गया था।

8. जहाँ तक याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा किए गए प्रतिविरोध का संबंध है कि राहुल सोलंकी के एमएलसी में दर्ज विवरण जिसमें उल्लिखित है कि *"दिनांक 24 फरवरी, 2020 को रात्रि लगभग 9:00 बजे सी-विहार में मरीज को बंदूक की गोली लगी अवस्था में पाया गया जैसा कि लाए गए द्वारा बताया गया",* मृतक को थाना लोनी से कांस्टेबल अवनीत द्वारा अस्पताल लाया गया। दिनांक 8 मार्च, 2020 के अपने बयान में अनिल और रोहित दोनों ने दावा किया कि मृतक को विभिन्न नर्सिंग होमों में ले जाया गया था, हालांकि उन्हें जीटीबी अस्पताल भेज दिया गया था तथा जीटीबी अस्पताल का मार्ग बंद था, इसलिए वे उसे लोनी के क्लीनिक ले गए जहां

राहुल की एमएलसी तैयार की गई जिसमें उल्लिखित है कि उसे रोहित सोलंकी द्वारा लाया गया था, जिस एमएलसी को पूरक आरोप-पत्र के साथ दायर किया गया। यह तथ्य कि कांस्टेबल अवनीत ने राहुल को जीटीबी अस्पताल में भर्ती कराया और वह थाना लोनी में कार्यरत हैं, रोहित सोलंकी के इस दावे की भी पुष्टि करता है कि वे राहुल को लोनी के सरकारी क्लीनिक ले गए जहाँ से उसे पुलिस की मदद से एम्बुलेंस में जीटीबी अस्पताल लाया गया। इस तथ्य का दिनांक 8 मार्च, 2020 को भी कहे जाने से, इस न्यायालय को याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के प्रतिवाद में कोई बल नहीं दिखता है क्योंकि याचिकाकर्ता द्वारा नियमित ज़मानत याचिका दायर करने के बाद, याचिकाकर्ता पर एक झूठा मामला थोपा गया है, जैसा कि

मृतक के एमएलसी में उल्लिखित विवरण में लोनी के क्लीनिक की एमएलसी को प्रस्तुत करने से स्पष्ट है।

9. घटना स्थल पर लगे सीसीटीवी को आरिफ द्वारा लगभग 04:25 बजे तोड़ दिया गया था, जो कि यह तथ्य भी सीसीटीवी में दर्ज है। सलमान की गिरफ्तारी के अनुसरण में, उसके इन्केशाफ़ पर वर्तमान याचिकाकर्ता को गिरफ्तार किया गया था और उसके कब्जे से एक पिस्तौल और कुछ गोला-बारूद बरामद किया गया था। हालांकि, अनिल के बयान से यह दृश्यमान है कि रोहित घटना के समय अनिल और राहुल के साथ मौजूद नहीं था, हालांकि आसपास के क्षेत्र में रोहित की उपस्थिति इस तथ्य से स्पष्ट है कि वह तुरंत मृतक को नरेंद्र के साथ अस्पताल ले गया। जहाँ तक कि याचिकाकर्ता की पहचान का

संबंध है, निस्संदेह कोई शिनाख्त परेड नहीं हुई थी, हालांकि याचिकाकर्ता का नाम दिनांक 8 मार्च, 2020 को ही गवाह रोहित सोलंकी के बयान में सामने आया है। जहाँ तक कि गवाह के बयान में उल्लिखित याचिकाकर्ता की गली संख्या की विसंगति का संबंध है, उसके गौण होने के नाते, इसका प्रभाव गवाही के दौरान साक्ष्यों की विश्वसनीयता के मूल्यांकन के समय देखा जाएगा।

10. अपराध की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए तथा यह कि अभी अहम गवाहों की गवाही होना बाकी है, इस न्यायालय को इस समय याचिकाकर्ता को ज़मानत प्रदान करने का कोई आधार नहीं मिला।

11. याचिका तदनुसार खारिज की जाती है।

12. आदेश की प्रति इस न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड की जाए।

(मुक्ता गुप्ता) न्यायाधीश

01 जून, 2021

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

<u>अस्वीकरण</u> : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा|समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित*

माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।